

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या : 336/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,  
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था


बनाम

1. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री रामजीवन,
2. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री रामस्वरूप,
3. श्री कमल चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी,  
पता :- प्लॉट नम्बर 34, सवाई मानसिंहपुरा, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
4. श्री रामजीलाल चौधरी पुत्र श्री गुल्लाराम चौधरी,  
पता :- प्लॉट नम्बर 152, लोदी ढाणी मांडीया, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act.2002.



उपरिथत श्री सूरज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 13.02.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06-09-2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) श्रीमती कौशल्या देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 46, ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पंचायत समिति दूदू, जयपुर क्षेत्रफल 416.66 वर्गगज (2) श्री कमल चौधरी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 47, ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पंचायत समिति दूदू, जयपुर क्षेत्रफल 416.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 3,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30-08-2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5/30  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 13 दिसम्बर 2015 से सम्बन्धी अधिनियम 2012 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अटैचमेंट से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 2,55,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्गित सम्बन्धित बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण दसुंरी के लिए बकाया ऋण राशि मत्र आग्र कुल 7,18,241/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05-08-2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में दसुंरी योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का नौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी (1) श्रीमती कौशल्या देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 46, ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पंचायत समिति दूदु, जयपुर क्षेत्रफल 418.66 वर्गगज (2) श्री कमल चौधरी के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नम्बर 47, ग्राम पंचायत बिहारीपुरा, पंचायत समिति दूदु, जयपुर क्षेत्रफल 418.66 वर्गगज का नौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जपिय सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर



आदेश दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकारा राजपुत्राहित)  
जिला नजिर  
(कलक्टर) जयपुर